FLYLEAF 199

OFFICE **DEPARTMENT**

Collection No. *File No.* *of 19*

Serial No. To

FILE SUBJECT बिहार राज्य आवास बोर्ड की 152वीं बैठक दिनांक 3/7/53 पूर्वाह्न दिन शनिवार स्थान 6 (ख) (ग) [illegible] मार्ग पटना

Serial Number of file	Letter etc. from whom received or to whom Issued	Number	Date	Class of Paper
1	2	3	4	5

संचिका संख्या प्र०-1- 14/93

विषय :- बिहार राज्य आवास बोर्ड की 152 वीं बैठक के सम्बन्ध में।

टिप्पणी

कृपया ऊपर 1/पृ पर अध्यक्ष [illegible]
महोदय [illegible] पर [illegible] का [illegible]
बैठक का करना है। बोर्ड की बैठक की
तिथि निर्धारण हेतु संचिका संख्या
प्र०-1- 8/92 दिनांक 7.4.93 को ही [illegible]
पत्र के साथ कार्यालय द्वारा उपस्थापित
किया जा चुका है परन्तु वह संचिका
कार्यालय को वापस नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन [illegible]
आदेश है कि बोर्ड की बैठक को
[illegible] के दिनांक 4.6.93 को [illegible]
दिन के [illegible] बुलाई जाय।

दिनांक 26.7.93 को हुई [illegible]
बैठक के लिये जो निर्णय [illegible]
कार्यान्वयन [illegible] के [illegible]
संख्या प्र०-1-05/92 [illegible] है [illegible]
[illegible] सचिव [illegible]
[illegible] है।

आदेशार्थ

177

ह० 17/5/93

प्रबन्ध निदेशक

[illegible] 15/93

कृपया [illegible] 1/5

अतः इसमें अलग विचार अपेक्षित है। गत बोर्ड की बैठक में श्री [illegible] ने [illegible] के निर्णय अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करके रख रहा है, संलग्न संचिका सं. 1-05/92 में अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। निदेश, अवलोकन करना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने हेतु आप आवश्यक मार्गदर्शन देना चाहेंगे।

[illegible] 17/5/93

2696 [illegible] 17/5/93

अध्यक्ष

क्रमांक 1/प0 पर अपने दिनांक 17-5-93 के पीत पत्र को कृपया देखा जाय ।

2- दिनांक 26-2-93 की बोर्ड की बैठक की कार्यवाही अनुमोदनार्थ आपके पास भेजी गई है जो अबतक लौटकर नहीं आई है । इसके बिना बोर्ड की अगली बैठक बुलाये जाने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। ~~इसके बिना बोर्ड की अगली बैठक बुलाये जाने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।~~ अतः कृपया दिनांक 26-2-93 की कार्यवाही से संबंधित संचिका आवश्यक कार्रवाई के उपरान्त वापस करना चाहेंगे ।

3- दिनांक 5-6-93 को बिहार विधान परिषद में आश्वासन समिति की बैठक है जिसमें कई एक पुराने तथा उलझे हुये मामलों पर बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है । इसके लिये बहुत सारी कार्रवाईयां की जानी है। साथ ही श्री आनन्द कुमार सिंह, सेवा निवृत्त प्रभारी अधीक्षण अभियंता , के द्वारा रांची बेंच, उच्च न्यायालय,पटना में दायर अवमानना-वाद के आलोक में अधीक्षण-अभियंता के पद पर प्रोन्नति से संबंधित कार्रवाई की जानी है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक बिहार लोक सेवा आयोग में दिनांक 8-6-93 को निर्धारित है। यह मामला भी काफी उलझा हुआ है और श्री आनन्द कुमार सिंह के साथ अनेक अभियंताओं पर मुकदमों, विभागीय कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में भी विभाग से समन्वय कर बहुत सारी कार्रवाई करनी है। इसमें 10-12 दिनों तक लगातार सघन अभियान चलाकर कार्रवाई करनी होगी ।

4- इस बीच बोर्ड के निर्णयों के अनुपालन संबंधी स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध होगा कि यदि बोर्ड की बैठक जून के दूसरे सप्ताह के बाद अर्थात् 18 या 19 जून के आसपास बुलाई जाती तो ज्यादा सुविधा होती ।

[illegible] 20/5/93

[illegible]

अध्यक्ष

मैं सम्भवतः पारिवारिक कारणों से 8 या 9 जून से 17-18 जून तक अवकाश पर रहूँगा और पटना से बाहर रहूँगा। अतः बैठक 19 या 21 जून को बुलाने पर सहमति देना चाहेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत [illegible]
(हस्ताक्षर) 23/5/93
(प्र.नि.)

49 (अ)
25.5.93

सचिव

(हस्ताक्षर) 25/5/93

प्र.नि.

दिनांक 21.6.93 को 11 बजे बैठक [illegible] निश्चित करने पर सहमति देना चाहेंगे। [illegible] सहमति [illegible] के पश्चात सूचना निर्गत किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 26/5

यथाप्रस्तावित। सूचना प्रारूप भी दिखला लेंगे।
(हस्ताक्षर) 26/5/93

3755
26/5/93

[illegible]
26.5

सचिव

उपर्युक्त आदेश। तदनुसार (प्रारूप उपस्थित)

(हस्ताक्षर) 27/5/93

प्र.नि.

तदनुसार [illegible] प्रारूप अवलोकनार्थ उपस्थित।

(हस्ताक्षर) 27/5

देख लिया। निर्गत करायें।
(हस्ताक्षर) 27/5/93

(हस्ताक्षर) 28/5

9415 [illegible]
27.5.93

28/5 O.D
28/5

प्रारूप = [illegible]
28/5/93

पत्रांक 2835 दिनांक 29/5/93

कृपया मद 3/90 पर अध्यक्ष के आशु सचिव के पाण्डु पत्र का अवलोकन किया जाय। दिनांक 21.6.93 को होने वाली बोर्ड की बैठक अपरिहार्य कारण -वश ~~[illegible]~~ स्थगित की गयी है। इसकी सूचना माननीय निदेशक परिषद् को देने हेतु संचिका पर स्वच्छ प्रारूप अनुमोदनार्थ उपस्थापित है।

प्रा० अधी०

[signature]

17/6/93

[signature]

प्राप्ति [illegible]
17.6.93
5 P.M.

सचिव

माननीय मौखिक निर्देशानुसार बोर्ड की 152वीं बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु संचिका पर स्वच्छ प्रारूप अनुमोदनार्थ उपस्थापित है। निर्देशानुसार — उक्त पत्र के साथ बोर्ड की 151वीं बैठक की कार्यवाही ~~[illegible]~~ 150वीं व 149वीं बैठक के कार्यवृत्त अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

प्रा० अधी०

[signature]

28/6/93

[signature]

प्र. नि.

बोर्ड की 152वीं दिनांक ~~[illegible]~~ 3.7.93 को 11 बजे निश्चित की गयी है। बोर्ड की सूचना तथा बोर्ड की 151वीं बैठक की कार्यवाही 150वीं बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ 149वीं बैठक की सूचना बोर्ड को ~~[illegible]~~ भेजी जा रही है। प्रारूप अवलोकनार्थ उपस्थापित

देखा गया।

[signature]

दिनांक 3-7-1993 को बोर्ड की 152 वीं बैठक की कार्यवाही पत्राचार भाग पर रख दिया गया है, जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु भेजना चाहेंगे।

सचिव

अध्यक्ष

कृपया
1/9/93

सचिव

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 151वीं बैठक की जो कार्यवाही अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात निर्गत की गई है वह उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार वास्तव में बैठक में कार्यवाही चली थी । 151 वीं बैठक की जो कार्यवाही अध्यक्ष के अनुमोदन से परिचारित की गई है उस के निम्नलिखित दो अंशो पर मैं नोट ऑफ डिसेन्ट (Note of dissent) दे रहा हूँ :-

1- बोर्ड की 150 वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि 151 वीं बैठक में 4-3 के बहुमत से स्वीकृत की गई थी न कि 5-3 के बहुमत से, क्योंकि इस प्रस्ताव पर मतदान के समय तक श्री विजय कुमार मंडल, सदस्य, बैठक में नहीं आये थे। अतः अध्यक्ष तथा तीनों उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था तथा मुख्य अभियंता ने एवं मैंने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था । हडको के प्रति... श्री अरुण कुमार ने भी अपना लिखित नोट ऑफ डिसेंट अध्यक्ष द्वारा अनुमो... कार्यवाही के विरोध में दिया था पर अध्यक्ष के अनुसार उन्हे मत देने का अ... नहीं होने के कारण इसे मतदान में नहीं गिना गया था ।यद्यपि हडको प्रति... भी किसी एजेन्डा के विषय पर मतदान नहीं कर सकते हैं पर बैठक में क्या हुआ इसके बारे में उनके मत की गणना भी अवश्य होनी चाहिए ।

2- बोर्ड में 151वीं बैठक की कार्यवाही में अध्यक्ष के द्वारा निम्नलिखित ... अलग से जोड़ दिया गया है :

" पुनः अध्यक्ष ने कहा बोर्ड में लिये गये फैसले तथा अबतक उनपर हुए कार्यान्वयन की स्थिति से ही पता चल जाता है कि प्रबंध निदेशक कितने शिथिल और उदासीन है । लिये गये निर्णयो का अनुपालन कर शीघ्र बोर्ड को प्रबंध निदेशक अवगत करावें " ।

यह बात अध्यक्ष के द्वारा 151वीं बैठक में नहीं कही गई थी । मैंने 152वीं बैठक दिनांक 3-7-93 में गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि के समय विरोध करते हुए अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को स्मरण दिलाया कि 151 वीं बैठक में अध्यक्ष के द्वारा तथा मेरे द्वारा जो भी कहा गया था वह सचिव को बैठक में ही लिखाया दिया गया था जिसे सचिव ने उसी समय पढ़कर सुना भी दिया था । उस बैठक में अध्यक्ष के द्वारा उपरोक्त अंश की बात नहीं कही गई थी । पर दिनांक 3-7-93 की बैठक में सम्पुष्टि के समय मेरे, आपके अन्य कई सदस्यों के कहने के बाद भी अध्यक्ष कार्यवाही में संशोधन के लिये तैयार नहीं हुए । अन्त में मैंने औपचारिक रूप से इस बिन्दु पर मतदान का प्रस्ताव रखा पर अध्यक्ष ने मतदान के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। इस कारण बोर्ड की 151 वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि नहीं हो सकी और 152

बोर्ड की अगली बैठक में 151 वीं बैठक परिचारित कार्यवाही की सम्पुष्टि के समय मेरा यह नोट ऑफ डिसेन्ट निश्चित रूप से बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी लिखित प्रतिलिपि बोर्ड के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक के पूर्व दे देंगे ।

2/9/93

प्रबंध निदेशक ।

क्रम संख्या:

संचिका संख्या:

अनुमोदन हेतु प्रारुप

संख्या:

दिनांक

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 152 वीं बैठक दि03-7-93को 11बजे पूर्वाह्न दिन शनिवार

स्थान 6 सरदार पटेल मार्ग पटना ।

उपस्थिति

1. अध्यक्ष, बिहार राज्यआवास बोर्ड, पटना
2. प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।
3. श्री श्रवण कुमार, बिहार शरीफ नालन्दा ।
4. श्री नन्द किशोर प्रसाद, भूतपूर्व विधायक, वक्सर ।
5. श्री विजय कुमार मंडल, ग्राम-पो0-वक्सर ।
6. श्री राम जतन राय, सामाजिक कार्यकर्ता ।
7. आयुक्त एवं सचिव, भवन निमार्ण एवं आवासबिभाग, बिहार पटना के प्रतिनिधि श्री अविनाश चन्द्र सिंहा, अपर सचिव ।
8. वित्त आयुक्त, बिहार पटना के प्रतिनिधि श्री एस0एन0 माथुर, संयुक्त सचिव।
9. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना
10. हडको प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार
11 सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।

1.	बोर्ड की 151 वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।	बोर्ड की बैठक में कार्रवाई के प्रारम्भ में जब पिछ[illegible] की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि हेतु रखा [illegible] तो प्रबन्ध निदेशक के द्वारा उक्त बोर्ड की [illegible] निम्नलिखित दो अंशों पर आपत्ति प्रकट की [illegible] 1) प्रबन्ध निदेशक का कहना था कि गत बोर्ड [illegible] बैठक की कार्रवाई में कुछ बात जो विगत बोर्ड [illegible] में नहीं हुआ थी, अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस[illegible] कार्रवाई में जोड़ा गया । 2) बोर्ड की 150 वीं बैठक की कार्यवाही [illegible] सम्पुष्टि में 4-3 के बहुमत से स्वीकृति प्राप्त की [illegible] न कि 5-3 के बहुमत से क्योंकि इस प्रस्ताव के [illegible] तक श्री बिजय कुमार मंडल, सदस्य बैठक में नहीं [illegible] बोर्ड की 151 वीं बैठक के कार्यवाही [illegible] अंश जोड़ा गया, निम्न प्रकार है :-पुन: अध्यक्ष [illegible] बोर्ड में लिये गये फैसले तथाअबतक उनपर हुएकार्यान्[illegible] की स्थिति से ही पता चल जाता है किप्रबन्ध निदे[illegible] कितने शिथिल और उदासीन है । लिये गये निर्णयों का अनुपालन कर शीघ्र बोर्ड को प्रबन्ध निदेशक अवगत करावें ।

क्रम संख्या ---------   -2-   संचिका संख्या ----------

अनुमोदन हेतु प्रारुप

संख्या ----------

दिनांक ----------

प्रबन्ध निदेशक के द्वारा इसे संशोधान करने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जो गत बैठक में निर्णय हुआ है उसे ही जोड़ा गया है न कि अलग से जोड़ा गया है। इस बिन्दु पर प्रबन्ध निदेशक ने सदस्यों को ~~बोर्ड के सामने~~ स्मरण दिलाया कि विगत बोर्ड की बैठक में जो भी निर्णय हुआ था अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वयं ही बोर्ड की बैठक में सचिव को लिखाया गया, और सचिव के द्वारा उसे पढ़कर सुनाया भी गया। मैंने जो आपत्ति की थी उसे उसी समय लिखकर बोर्ड में पढ़कर सचिव को दे दिया था। इस प्रकार जो बातें बोर्ड में उठायी गयी, वो ही अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन के लिए भेजा गया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दु बाद में जोड़ा गया है। बोर्ड के कई सदस्यों के द्वारा भी अध्यक्ष महोदय से इसे संशोधान के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। विगत बोर्ड की बैठक की कार्यवाई में जो अंश जोड़ा गया है वह गलत है और अध्यक्ष महोदय गत बोर्ड की बैठक की कार्यवाई के संशोधान के लिए तैयार नहीं हुए। अन्त में प्रबन्ध निदेशक के द्वारा इस बिन्दु पर मतदान कराये जाने का भी प्रस्ताव दिया गया, जिसे अध्यक्ष महोदय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अतः विगत बोर्ड की बैठक की कार्यवाई अनुमोदन के अभाव में दिनांक 3-7-93 की बैठक आगे नहीं चल सकी।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही स्थगित की गयी।

अध्यक्ष